

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अभयपाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

13/2013
21-10-2013

1. बंदी पुत्र अम्बालाल गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
2. बुंजरंगा पुत्र बेंजनाथ गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र छोगा गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
2. भू-आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी निवाई

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू-आवंटन नियम 1970

- उपस्थिति : (1) श्री बसन्त कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री दौलतराम चोधरी अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 24-2-2021



प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 7-1-1983 को प्रतिपक्षी सं० 1 हरिराम को आ०ख०न० 109/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि वाके ग्राम अभयपुरा तहसील निवाई में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने कथन किया है कि भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 7-1-1983 को बिना उद्घोषणा जारी किये मौका रिपोर्ट लिये बिना हरिराम पुत्र छोगा गुर्जर को ख०न० 109/2 मे 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटी को नाम चोप कर भूमि का कब्जा नहीं संभलाया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा कस्त नहीं रहा है। विपक्षी सद्भावी कृषक नहीं है उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज करीब 100 वर्षों से कस्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षी करीब 15-20 दिन पूर्व मेरे पास आया ओर कहने लगा की भूमि का आवण्टन मेरे नाम हो रख है या तो तुम इस भूमि को खरीद लो या मुझे कब्जा दे दो अन्यथा मुझे कब्जा छीन कर किसी दूसरे व्यक्ति को भूमि बेचना बड़ेगी, जिससे प्रार्थीगण को भूमि आवण्टन के सम्बन्ध में जानकारी हुई तथा प्रार्थीगण ने आवंटन आदेश की नकल प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत किया है फिर भी विलम्ब माना जा

जिला कलेक्टर
टोंक



✓

तो विलम्ब क्षमा करने हेतु प्रथम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः आवेदन स्वीकार कर विपक्षी सं० 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज की जावे।

विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाबी बहस में कथन किया कि भू-आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी सं० 1 हरिराम गुर्जर को आ०ख०न० 109/2 में रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम अभयपुरा तह० निवाई में नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। विपक्षीगण का कब्जा कक्षा चला आ रहा है। विपक्षीगण भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी सं० 1 हरिराम पुत्र छोगा गुर्जर को ख०न० 109/2 में 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का भू-आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 7-1-1983 को आवंटन किया गया है। तथा दिनांक 11-1-1983 को भूमि का सुपर्दगीनामा भी दिया गया है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा जो नकल खसरा परिवर्तन्शील पेश की गई है, उसके भी प्रार्थीगण के कब्जे का अंकन नहीं है उनका कब्जा खसरा नम्बर 109/1 में बताया गया है। जबकि विपक्षी को भूमि खसरा नम्बर 109/2 में आवंटित हुई है। वर्तमान में आवंटित भूमि प्रतिपक्षी सं० 1 जमाबन्दी सम्वत् 2066-69 वाके ग्राम अभयपुरा में खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी सं० 1 के हक में आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं० 1 हरिराम गुर्जर पुत्र छोगा गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुरा तह० निवाई को आ०ख०न० 109/2 में रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम अभयपुरा तह० निवाई जिला-टोंक में किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक